प्रेस नोट दिनाँक-02.11.2022

(1). दिनाँक-02.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 02.11.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे मुकदमों में सघन पैरवी करवा कर अपराधियों को सजा दिलाने के उद्देश्य से नियमित रुप से गवाहों को पेश कराने हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक थाना राजापुर श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार यादव द्वारा मुकदमें में कड़ी मेहनत कर समय से गवाहों की पेशी करायी गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस की गयी, जिसके परिणामस्वरुप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री विष्णु कुमार शर्मा द्वारा थाना राजापुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 254/2010 धारा 364/34,302/34,201,120 बी भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1. पंकज सिंह पुत्र केशव सिंह निवासी चनहट थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. पप्पू बढ़ई पुत्र मुल्लू उर्फ बोधन सिंह निवासी रमपुरिया थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 3. अजीत सिंह पुत्र शिवसिंह निवासी रायपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को आजीवन का कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री गुलाबचंद्र सोनकर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त 1. छोटू पुत्र भूरा रैदास निवासी चमरौडी 2. गौरेलाल नाइ पुत्र छोटेलाल निवासी रुक्माखुर्द 3. दिनेश पुत्र सुभाष कोल निवासी रुक्माखुर्द 4. चंद्रशेखर पुत्र कैरा कोरी निवासी रुक्माखुर्द को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के मालफड़ से 1560/- रुपये, जामातलाशी से 102/- रुपये, 52 अदद ताश के पत्ते बरामद किए गए। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना बहिलपुरवा में मु0अ0सं0 48/22 धारा 13 जुआ अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

1. मालफड़ से 1560/- रुपये,

2. जामातलाशी से 102/- रुपये,

3. 52 अदद ताश के पत्ते

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक थाना बहिलपुरवा श्री गुलाबचंद्र सोनकर
2. आरक्षी राहुल गौतम
3. आरक्षी सन्दीप यादव
4. आरक्षी रणवीर सिंह

(5). श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वाँछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना पहाड़ी पुलिस टीम ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया।

(i). आरक्षी पवन कुमार मु0अ0सं0 56/2015 धारा 60 (2) आबकारी अधिनियम के वारण्टी अभियुक्त अभियुक्त होरीलाल पुत्र रामबहोरी केवट निवासी रइयापुरवा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(ii). उ0नि0 श्री दिनेश कुमार पाण्डेय थाना पहाड़ी तथा उनके हमराही आरक्षी जलील अहमद द्वारा मु0अ0सं0 208/2015 धारा 279,337,427 भादवि0 के वारण्टी अभियुक्त शारदी प्रसाद पुत्र रामलाल निवासी बक्टाबुजुर्ग थाना पहाड़ी को गिरफ्तार किया गया।

(6). आज दिनाँक-02.11.2022 को पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर द्वारा विवेचना में वैज्ञानिक साक्ष्यों/तरीकों के बारे में विवेचकों को प्रशिक्षित करने हेतु आयोजित ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रशिक्षण में श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री शीतला प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में जनपद के विवेचकों द्वारा प्रतिभाग किया गया।